Nagatiable Instrument 1881

* इस अधिनियम का नाम " परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 कहा गया है।
* यह दो शब्दों से मिल कर बना है।

① Negatiable :- (परक्राम्य) कोई चीज जो एक व्यक्ति के नाम की हो उसका अन्तरण दूसरे व्यक्ति को किया जा सके।
② Instruments :- (लिखित) किसी भी प्रकार का लिखित दस्तावेज।
* ऐसा लिखित दस्तावेज जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अन्तरण किया जा सके। यह इसकी विशेषताएँ हैं।
* यह दो प्रकार से होता है।

① Endorsement (पृष्ठांकन) :- यह लिखित रूप में होता है जैसे किसी चेक पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो जिसको दिया जाता है।
② Delivery :- (Bearer Instruments) :- ऐसा चेक जिस पर किसी का नाम ही नहीं लिखा हो वह कहलाता है। बस देने वाले का हस्ताक्षर है।
* Independent title :- जो दो पक्षकार होते हैं। Transferor (जो देता है) दूसरा, Transferee (जिसको दिया जाता है)
③ * Certainity (निश्चितता) :- जितना पैसा देना है ठीक उतना ही पैसा और सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए।
④ Right to sue :- अगर दिए गए चेक के सापेक्ष पर्याप्त धन नहीं होता है तो लेने वाला व्यक्ति केस करने का अधिकार रखता है।
* यह लिखित में होना चाहिए मौखिक नहीं होना चाहिए।
* जिसके पास लिखित दस्तावेज धन प्राप्ती के लिए होता है तो वह उसके अधिकार को जन्म देता है।
* कुल अध्याय - 17 है, धाराएँ 148 होती हैं। 6 बार संशोधन किया गया
→ 1882, 1st March → तिथि से लेकर संशोधन किया गया।
→ 1988, 1 April → पहले समय 137 धारा था, जिसके बाद अध्याय - 17 में 5 धारा जोड़ा गया। (138 - 142)
→ 2002, 6 Feb → जिसके बाद 5 धारा और जोड़ा गया। (143 - 147)
→ 2015, 15 June → जिसमें कुछ उपधारा जोड़ा गया। (142(2), 142A)
→ 2018, 2 Aug → जिसमें एक धारा व एक उपधारा जोड़ा गया। (143A, 148)
* यह अधिनियम दिवानी विधि व फौजदारी विधि दोनों में आता है।

धारा - 1 Introduction

* इस अधिनियम का नाम परक्राम्य अधिनियम 1881 कहा गया है।
* यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा।
* यह अधिनियम Indian Paper Currency Act, 1871 की धारा 21 पर प्रभाव नहीं डालेगा।
* हुन्डीयों को प्रभाव नहीं करेगा। पुरानी प्रथा पैसे और मुद्राओं को लेकर।
* इसका source English Common law से लिया गया है।

धारा - 2 Schedule

* यह संशोधन अधिनियम 1891 द्वारा हटा दिया गया है।

धारा - 3 Interpretation Clause (निर्वचन खण्ड)

* Bankers :- बैंक में काम या बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी बैंक, बैंकर कहलाएगा। ② होते हैं। ① कोई भी बैंकर। ② पोस्ट आफिस बैंक।

धारा - 4 Promisory Note

* यह भी Instrument में आएगा। और यह भी लिखित में होगा।
Banking Note, Currency Note यह Negotiable Instruments में नहीं आएगा।
* Promisory Note पर किसी प्रकार की शर्तें नहीं लगाई जाती है।
Ex- कि आप यह काम करोगे तब यह पैसा मिलेगा।

* जिसके द्वारा बनाया गया है उसके द्वारा उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिए।
* यह केवल पैसे के लिए होता है जो देने वाले द्वारा देने वाले के लिए होता है।
* यह "I Promise to Pay B Rs 500/- इस प्रकार से होगा।
*

धारा-5 (Bill of Exchange)

* यह भी Instrument में आएगा जो की लिखित रूप में ही होगा।
* यह Promisory Note से अलग है जिसमें यह बताया जाता है कि यह पैसा किस व्यक्ति को दिया जाए। मगर Bill of exchange में यह होता है कि A ने B से कहा की तुम C को पैसा दो।
* इसमें भी बनाने वाले के हस्ताक्षर होना चाहिए।

धारा-6 (Cheque)

* यह Negotiable Instrument भी है और यह Bill of exchange भी है।
* इसको किसी एक निर्धारित बैंक में ही भुनाया जाता है।
* यह तभी काम आएगा या पैसा प्राप्त होगा जब उसे निर्धारित चेक बैंक में दिया जाए।

① Cheque in Electronic form :- यह एक Digital form में चेक होता है जिसको निकालने के लिए -
  * Computer का प्रयोग किया जाता है।
  * Cheque Digital होने के कारण हस्ताक्षर भी Digital होता है।
  * यह Crypto system से बना है।

② Truncated Cheque :- कागज द्वारा दिया गया चेक जो बैंक में जमा किया जाता है जो किसी अन्य बैंक का होता है। पैसा जब समय के आखिरी में बैंक द्वारा दूसरे बैंक से प्राप्त होते समय एक Digital check होता है है वही Truncated Cheque कहा जाता है।

धारा-7 (Parties)

* Drawer :- जिस व्यक्ति द्वारा cheque, Bill of exchange, PN बना के हस्ताक्षर बना कर दिया वह Drawer होगा।
* Drawee :- जिसको पैसा देने के लिए बोला जो पैसा प्राप्त होगा।
* Drawee in case of Need :- किसी प्रकार का BOE, cheque बनाते समय किसी अन्य का भी नाम लिखा जाना जिसमें एक के पैसा नहीं दे पाने के समय दूसरे द्वारा पैसा दिया जाना।
  जैसे :- A ने यह B को कहा की पैसा देगा, लेकिन अगर पैसा नहीं हुआ तो C पैसा दे देगा।
* Acceptor :- चेक या किसी अन्य प्रकार का Instrument जब Accepte हो जाता है तब Drawee द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर के जिसको दिया जाता है वह Acceptor कहलाता है।
* Acceptor of Honour :- वह व्यक्ति जिसके द्वारा सही व प्रर्याप्त पैसा न होने पर किसी Instrument का Dishonour होने से पहले ही उसे accept कर लिए कर लेना ताकी वह चेक Dishonour न हो वह Acceptor of Honour कहा जाएगा। इसे लाज बचाने वाला भी कहा गया है।

धारा-19 Instrument payable on Demand

* ऐसा Instrument जिसको आप Demand (माँग) करने पर ही देते उसे Instrument on Demand बोला जाएगा।

धारा-20 Incohate stamped Instrument

* अगर किसी पेपर पर अलग से कोई Instrument बनाया जाता है तो Incohate stamped Instrument कहा जाएगा।
  जो BoE/PN/C से अलग ही होगा।

Classification of NI

* यह 4 प्रकार से classify हो सकता है।
  - → Time → अगर समय बताया गया है तो वह उसी समय दिया/देय होगा।
  - → ORDER → किसी निर्धारित व्यक्ति को आदेशित है, तो वह उसी को देय होगा।
  - → BEARER → जिस व्यक्ति के पास Instrument होगा पैसा उसी को मिलेगा इस Instrument के ऊपर लिखा होना जरूरी है।
  - ⇒ ON DEMAND → जब माँगा जाएगा तब दिया जाएगा इसमें समय नहीं लिखा जाता है।

धारा-21 At sight/on presentation/After sight

* अगर कोई पैसा उसी जगह जहाँ देना है (at sight) या, किसी के कार्य पर (on presentation) देना होता है तब वह on Demand उसी समय माँग करने पर Payment किया जाता है जिस पर Date नहीं लिखा जाता है।

* After Sight - कुछ समय बाद व्यक्ति को पैसा देने का अधिकार है जिसमें हमेशा Date लिखना जरूरी होता है और Time period लिखा जा सकता है जिसमें महीना या आदि चीजे लिखा जा सकता है।
  * PN → sight पर presentation होने के बाद ही payment किया जाएगा।
  * BOE → इसमें जब व्यक्ति द्वारा सामने लाया गया तब acceptance होने के बाद Payment मिलेगा।

धारा-22 Maturity

* किसी भी NI की Maturity तब होती है जब पैसे को लेने की Date आ गई है।
  ⇒ NI बनाते समय व्यक्ति ने यह बोला आज से एक महीने बाद आप पैसा को लेना तब एक माह बाद वह Mature हो जाएगा।

* Payment at Sight ⇒ इसमें पैसा हमेशा on Demand ही मिलेगा।
  * किसी भी BOE बनाते समय 20/8/2018 Date लिखा गया तब वह 20/8/2018 को Mature होगा।

Note - चेक के मामलों में at sight या after sight लागू नहीं होता है।

* Payment at after Sight ⇒ इसमें पहले से 3 माह समय दिया गया होता है, जिसमें Date लिखा होती है।
  * किसी व्यक्ति द्वारा BOE बनाया गया 20/5/2018 को और उसे accept 25/5/2018 को किया गया 5 दिन बाद तब स्वीकृत करने के 3 माह बाद वह Mature माना जाएगा।

* Days of Grace :- किसी भी PN/BOE पर Demand, at sight, on presentment नहीं दिया है तो 3 दिन के बाद वह Mature मान लिया जाएगा।

धारा-23 Calculating Maturity of Bill/PN

* अगर व्यक्ति द्वारा लिखा गया कि PN में पैसा 3 माह के बाद किया गया। यह 03/03/2018 को बोला गया।
तब वह 3 माह बाद की जो Date लिखा गया उस पर, After Sight पर, After certain event को ही देय होगा।
क्योंकि Number of month या Date लिखा गया है।
* ऐसे में वह Mature तब होगा जब जो Date लिखा गया है। या कोई भी कार्य लिखा गया उसके पूरा होने के बाद।
PN में जब से वह बनाया गया तब से समय जोड़ा जाएगा।
BOE में जब स्वीकृत किया गया तब से समय जोड़ा जाएगा।

* After sight और acceptence for Honour द्वारा accept किया गया है तो वह उस दिन से ~~acce~~ Mature होगा जिस दिन अगले व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया। चेक बनाया 3 March, तीसरे व्यक्ति ने 10 March को स्वीकार किया तो Mature 10 march को होगा।
इसके बीच जिस व्यक्ति को accept करना था उसने नहीं किया तब वह यह होगा की तीसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए दिन से Mature माना जाएगा न की दूसरे व्यक्ति ने जब से स्वीकार किया।
* किसी व्यक्ति द्वारा यह बनाया गया की फरवरी की 29 तारीख को पैसा लेकर जाना तब अगर वह 1 माह बाद बोला है और फरवरी 28 दिन का है तो महीने के आखिरी तारीख जो भी हो उस दिन पैसा मिलेगा।
वह Mature उसी माह के आखिरी दिन को माना जाएगा।

धारा-24 Calculating Maturity of BOE/PN

* धारा 23 में Number of months दिया गया था जो की इस धारा में Number of Days बताया गया है।
* अगर किसी व्यक्ति द्वारा यह बोला गया की 5 दिन के बाद यह पैसा लेकर जाना तब 5 दिनों के बाद यह Mature हो जाएगा।

~~अगर~~

धारा-25 when day of Maturity is Public Holiday

Holiday :- अगर कोई Mature उस दिन होगा जिस दिन छुट्टी है तब वह एक दिन पहले ही जमा करना होगा क्योंकी वह एक दिन पहले Mature होगा।

Chapter-3 Parties to BOE/PN/C

धारा-26 Capacity

* वह व्यक्ति BOE/PN/C बना सकता है जो Contract बना सकता है। मगर Minor भी बना सकता है लेकिन वह खुद नहीं Bind होगा वह केवल Parties को Bind करता है।

धारा-27 :- Agency

* कोई भी agent NI बना कर Principal को Bind कर सकता है लेकिन General transection अगर वह कर रहा है, उसको आदेश मिल रखा है व्यवसाय में पैसा देने लेने का तो इससे वह Principal को Bind नहीं कर सकता है। तब उसे Instrument बनाने के लिए Power नहीं मिलेगा।

धारा-28 Agent signing without Indicating

He is agent :- किसी व्यक्ति के जगह कोई व्यक्ति आ कर sign कर के देता है। बिना यह बोलता है कि मैं आपको चेक sign कर के बताए की वह उस व्यक्ति का agent है ताकि वह liable हो जाए। तब वह खुद जिम्मेदार होगा न की वह व्यक्ति इस बातों को छोड़कर → जहाँ उसे यह कहा गया हो की Principal liable होगा।

* Liability of legal representative धारा – 29
  Signing ~~प~~ जिसके लिए Instrument बनाया जा रहा है वह मृतक है तो उनके legal representative खुद liable रहेंगे, अपने limits तक।

धारा – 30 Drawer

* अगर जिस व्यक्ति ने चेक बना कर दिया और वह Dishonour हो गया तब वह व्यक्ति चेक बनाने वाले व्यक्ति को Notice करेगा / देगा और compansatition के लिए बोलेगा।

धारा – 31 Drawee of Cheque

* अगर पैसा होने पर भी बैंक यह बोलती है कि पैसा नहीं है पैसा नहीं देगी तो बैंक जिसने चेक बनाया है इसको compansatition करेगी क्योंकि कल को केस होगा तो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो मालिक है।

धारा – 32 Maker of PN / Acceptor of BOE

* जिस दिन Date है या Mature हो रहा है उस दिन Pay करना पड़ेगा और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो compansatition देना पड़ेगा।

धारा – 35 Liability of Indorser

* जिसने BOE पर हस्ताक्षर कर के दिया उसकी Liability यह होगी कि A ने C से यह कहा कि जब B पैसा मांगे तब accept कर के पैसा दे देना अगर इस समय Dishonour हो जाता है तब compansatition देना पड़ेगा।

धारा – 40 Discharge of Indorser Liability

* हस्ताक्षर करने वाले का अधिकार खत्म हो जाएगा जब पैसा पाने वाला व्यक्ति बिना हस्ताक्षर करने वाले के आदेश के बगैर चेक या आदि फाड़ दे तब Indorser Discharge हो जाएगा।

धारा – 43 NI made without Consideration

* अगर बिना सोचे विचारे ऐसा NI बनाया तब वह NI मान्य ही नहीं होगा।

Chapter – 4 NEGOTIATE

धारा – 46 Delivery

* किसी भी प्रकार का PN बनाते समय, BOE को स्वीकार करते समय, या किसी चेक पर हस्ताक्षर करना पूरा तभी माना जाएगा जब इसका Delivery हो जाएगा। और यह चाहे actual हो सकता है या constructive हो सकता है।

* Negotiation 2 प्रकार से हो सकता है :-
  धारा – 47 ⇒ By Delivery
  धारा – 48 ⇒ By Indorsement

धारा – 47 By Delivery

* खुद से जा कर देना Delivery माना जाएगा और अगर PN / BOE / L पर यह लिखा गया कि Payable to Barer तब उस पैसा पाने वाले के हाथ में पहुंचते ही वह NI Negotiate माना जाएगा By Delivery।

धारा - 48 By Indoersment

* अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी Instrument पर लिख कर हस्ताक्षर कर दिया जाए तो माना जाएगा Indoersment हो गया है।
→ अगर Indoersment से किसी Instrument को Negotiate करना चाहते हैं तो दो बातों का ध्यान देना होगा।
(1) Indoersment भी करना है और (2) Delivery भी करना होगा।

धारा - 51 Who may Negotiate

* Negotiate वह कर सकता है जिसने - Sole make (जिसने PN बनाया है) Drawer (जिसने चेक बनाया है) Payee (जिसको पैसा देना चाहते हो वह भी) Indorser (जिसने हस्ताक्षर किया है) Several Joint maker/Drawer भी Negotiate कर सकता है।

धारा - 60 Instrument Negotiated till when

* तब तक आप सामने वाले व्यक्ति को Instrument Transfer कर सकते हैं जब तक पैसा Pay न कर दिया जाए। या Maker, Drawer, Acceptor द्वारा सन्तुष्ट हो गया Maturity के पहले चाहे बाद में तो Maturity आज के दिन हो तब भी Negotiate किया जा सकता है चाहे Mature होने के बाद भी। लेकिन Maturity timeperiod खत्म होने के बाद आप Negotiate नहीं कर सकते हैं।

कहाँ पर दिया जाना Chapter - 5 Presentment (Sec - 61 - 77).

General Provision

* यह General provision जो सब पर apply होगा।

धारा - 63 Drawee times for Deliberation

* जिसके चेक या Instrument बनाया उसके पास समय है कि वह सोच सकता है। जिसमें उसे 48 घण्टे का समय दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में चेक जमा किया तो बैंक Drawee हुआ जिसमें वह 48 घण्टे का समय ले सकता है सोचने के लिए कि पैसा दिया जाए या नहीं

धारा - 64 Presentment of PN/BOE/C

* किसी भी रूप में अभाव में नहीं दिया जा सकता है कि दूंगा फिर नहीं दूंगा। आप उसको वास्तव में इसी लिए Payment करेंगे तभी present करना है वरना नहीं।
→ अगर PN/BOE/C पोस्ट (रजिस्ट्री डाक) जो कि रजिस्टर्ड है तो वह एक Presentation माना जाएगा।
एक दूसरा Presentation ... मांग करनी होगी उसके लिए presentation
⇒ PN पर पैसा लेने के लिए तुरन्त मांग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई निर्धारित जगह होती तब presentation की जरूरत करने की आवश्यकता होती और अगर नहीं है तो presentation की जरूरत नहीं है।

धारा - 65 Hours of Presentment

* जो समय Bussiness Time होगा 10 से 4 बजे तक का वही समय सही व उचित है चेक लगाने के लिए।
→ किसी अन्य दफ्तर या बैंक में जाना है तो आप बैंकिंग के समय पर ही जाएगें।

Bill of Exchange

धारा 61 Presentment for Acceptance

* अगर किसी के सामने BOE रखा ताकी वह स्वीकार करे तो जिस दिन से स्वीकार होगा वहाँ से शुरू होगा Calculation of Maturity Period।
→ BOE यह after Sight payble है मगर उस पर जगह और समय नहीं लिखा है तब Present करने वाला व्यक्ति उसकी खोज करेगा Reasonable Time and place पर search करेगा। अगर मिल गया तो सही समय व जगह पर BOE को Present करना होगा और अगर मिलने के बाद भी Present नहीं किया तब तब Present करने वाले की गलती मानी जाएगी।

(8)

* अगर खोजने के बाद भी नही मिला तो Instrument को Dishonour दिया जाएगा।

धारा-77 Liability of Bank for negligently dealing with bill

* अगर बैंक ने किसी Instrument के साथ Negligently (लापरवाही से) Dealing कर लिया है तो अगर Payment में दिक्कत था चैक या Instrument Dishonour हो गया है तो Bank Compensate करेगी।

Promissory Note

धारा-62 Presentment of PN

* अगर PN को Present करने के लिए समय और जगह बता दिया गया है तो उसे Reasonable Time और place पर ही किया जाएगा।

धारा-67 Presentment for payment

* जब भी किसी PN को Present किया जाएगा Payment के लिए तब वह PN अगर Installments में देय है तो Date स्थान होने पर वह 3 दिन और ले सकता है जब PN कि बात आए।

Cheque

* Presentment cheque to charge →

धारा-72 Drawer

* जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है उसके विपरीत पैसा लेने के लिए उस बैंक में प्रस्तुत करें जिस पर यह आहरित किया गया है।

धारा-73 Other person

* अगर यह किसी अन्य व्यक्ति को करना है तो वह उसी व्यक्ति को Present करना होगा जिसे charge करना या जिसे पैसा देना चाहते हैं।

Instruments

धारा-66 Payable after date/sight

* अगर Instrument after Date/sight है तो उसे Maturity पर Present करना चाहिए।

धारा-68 Payable at specified place not elsewhere PN/BOE/C

* अगर यह निर्धारित है कि कोई भी Instrument को उस स्थान पर Present करना है वही पर यह देय है तब आपको वही पर present करना होगा तभी पैसा मिलेगा।

धारा-69 Payable at specified place (PN/BOE)

* अगर स्थान बताया गया है तो वह उस स्थान पर कही भी present कर सकते हैं। जरूरी नही की एक दम उसी स्थान पर Present किया जाए मगर यह चेक पर लागू नही होगा।

धारा-70 No exclusive Place

* अगर यह नही बताया गया है कि किस स्थान पर Present करना है तो Business Place पर Present किया जाएगा।

→ या उसके घर पर present कर सकते है जहाँ user, drawer, occupier रहता है।

धारा - 71 No Place Know, No Place Specified

* अगर आपको नहीं पता की कौन से स्थान के पर Present करना है PN/BOE में स्थान जगह नहीं पता है तो वह Instrument चाहे जहाँ वह मिले जिसे देना है किसी भी स्थान जगह आदि पर उसे दिया जा सकेगा।

धारा - 74 Payble on Demand

* अगर PN/BOE दे दिया गया तब वह व्यक्ति जिसे Demand Pay है उसके पास जाते ही वह Reasonable Time में आ सकता है पैसा लेने।

Chapter - 6

Payment and Interest

धारा - 78 To whom payment be made

* हमेशा किसी भी Insterument का Payement Holder of Payment को होगा।
  ⇒ Holder of Insterument को Interest भी मिलेगा।

Interest Rate

धारा - 79 Specified

* अगर Interest यह निर्धारित है कि 10% होगा तब वह तब से जोड़ा जाएगा जब से Insterument बना, जब से पैसा प्राप्त हुआ, जब से किसी केस का आदेश हुआ Recovary of amount का।

धारा - 80 Not Specified

* अगर Interest नहीं बताया गया है तो 18% प्रति वर्ष के दर से जोड़ कर दिया जाएगा मगर तब से जब से उस Insterument का लिखा पैसा देना था तब से, यह तब से जुड़ेगा जब से suit file किया गया था।
* जब तक offer नहीं किया जाए तब तक लगेगा।

Chapter - 7 Discharge from liability on PN/BOE C

धारा - 82 Discharge from liability

* अगर Holder Insterument को खुद ही Concel कर दे तो Maker acceptor, Indorser अपने liability से Discharge हो जाएगे।

धारा - 84 When Cheque not presented

* जब चेक सही व उचित समय में Present नहीं किया जाए या पैसा देने वाले व्यक्ति को घाटा होता है तो वह Dischrge माना जाएगा पैसा लेने वाला व्यक्ति मालिक पर केस नहीं कर सकता है।

धारा - 87 Effect of material Attention

* किसी भी प्रकार का Interument है उस पर काटना दुबारा लिखना या over writing करने पर वह शून्य माना जाएगा।
  NI become - VOID

Chapeter - 8 Notice of Dishonour

* यह दो प्रकार से हो सकता है।

धारा - 91 Non - Acceptance

* जब Drawee या Drawee Accepte न करे
  ↳ जिसको पैसा देना है
* जिसे पैसा देना है वह Contract करने के योग्य नहीं है तब Bill Dishonour होगा।

धारा - 92 Non-payment

* जब Maker, acceptor, Drawer पैसा देने में विफल कर दे तब वह Dishonour हो जाएगा।

धारा - 93 Notice

* Notice हमेशा Holder द्वारा, हमेशा उसे देगा जो पैसा देगा या जिसे पैसा देना है।

धारा - 94 Mode of Notice

* Notice हमेशा 3 प्रकार से दिया जा सकता है।
① अगर Principal है तो उसका agent Notice देगा।
② अगर Holder की मृत्यु हो चुकी है तो उनके legal representative द्वारा Notice दिया जाएगा।
③ अगर Holder दिवालिया हो गया है तो उसका सम्पत्ति में भागी व्यक्ति Notice दे सकता है।

* Form of Notice → ORAL (मौखिक)
written (लिखित) → इसे हमेशा जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजा जाएगा अगर नोटिस खो गया या पहुंचा ही नहीं तब भी यह माना जाएगा की valid नोटिस दे दिया गया है।
Express.
Implied.

* चेक के Dishonour होने के बाद सही समय के भीतर Notice भेजना होगा।
* Notice वहीं भेजा जाएगा जहाँ वह रहता है, या जहाँ वह कार्य करता है और Business Hours में भेजना होगा।

धारा - 95 Party receiving Notice of Dishonour

* जिस व्यक्ति को Notice received हुआ है वह और लोगों को भी समय के भीतर भेजेगा। BOE में एक व्यक्ति को Notice प्राप्त हुआ तो वह दूसरे को स्वयं देगा।

धारा - 96 Agent for Presentment

* अगर व्यक्ति ने NI किसी agent को दिया है तो agent अपने मालिक को Notice देगा Dishonour के बारे में।

धारा - 97 Party to whom Notice is to be given is Dead or

* जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और जिसके द्वारा दिया गया उसे यह नहीं पता है की वह मृतक है तो नोटिस valid माना जाएगा।

⇒ दो जगह valid माना जाएगा
① Post से भेजने पर खो जाने पर valid माना जाएगा।
② मृतक को Notice जिसके बारे में सूचना नहीं है कि वह मृतक है तब valid माना जाएगा।

धारा - 98 When Notice of Dishonour is unnecessary

* नोटिस इन न प्रकार से अनावश्यक माना जाएगा।
(1) Party द्वारा खुद यह बोला जाए की नोटिस मत दो हमें यह मालूम है कि नोटिस Dishonour हो गया है।
(2) जब पैसा देने वाला व्यक्ति भी पैसा मांगे तब Notice देने की जरूरत नहीं होगा।
(3) जिसके व्यक्ति को पैसा चाहिए था पैसा नहीं मिलने पर Dishonour होने पर किसी प्रकार का नुकसान ही नहीं हुआ हो, Notice जरूरी नहीं होगा।
(4) जब पर acceptor और Drawer दोनों एक ही व्यक्ति हो।
(5) जब PN Not Negotiable हो तब Notice की आवश्यकता नहीं होगी।
(6) बहुत खोजने के बाद भी Partie नहीं मिल रही है तब Notice जरूरी नहीं है।
(7) जब Parties को पता है और उसने कहा की मैं पैसा दे दूंगा। Notice की जरूरत नहीं है।

Chapter - 9 Noting & Protest
(99-104A)

धारा - 99 Noting when PN/BOE Dishonoured

* Noting (ध्यान देने योग्य बात) PN/BOE में ही होता है, जहाँ पर वह Dishonour हो जाते हैं। जहाँ वह accept नहीं किया जा रहा है या Non-Payment हो रहा है इसका।
⇒ 11 महीने तक की Notary होती है। 11 महीने से ज्यादा को lease कहते हैं जिसको Register करवाना पड़ता है।
* Holder द्वारा उसको एक कागज पर Note कर के Notary करवाया जाता है। Public Notary द्वारा Instrument को।
* यह तब करवाया जाएगा जब चेक या Instrument Dishonour होगा उसके तुरन्त बाद जिसमें Dishonour होने का कारण व पूरा समय भी बताया जाएगा।

धारा - 100 Protest

* जब Notary करने वाले ~~को~~ Public Notary Certified करके एक Certificate देता है उसे Protest कहा जाता है।

Protest for Bill of Security
* यह तब होता है जब BOE का acceptor (जिसे पैसा देना है) वह दिवालिया हो जाता है। उसके नाम को Publically खराब किया जाए।
* Bill के Mature होने से पहले ही दिवालिया हो जाए तब Holder जिसे पैसा लेना था वह Security की Demand करेगा।
* Holder के Security मांगने के बाद मना करने पर Holder यह Note कर के certified करा लेगा। इसे ही Protest of Better Security माना जाएगा।

धारा - 101 Content of Protest

* Protest में क्या-क्या लिखना चाहिए इन
→ पहले उन Instrument को संलग्न करेंगे।
→ किस व्यक्ति के लिए और किसके द्वारा Protest किया जा रहा है।
→ क्या, कितना, किससे, किस चीज के लिए पैसा मांग रहे हो।
→ कहा पर और किस समय Dishonour हुआ।
→ Notary वाले अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे की यह-यह बात है मैं गवाह हूँ।
→ किसी और ने पैसा जमा करने की बात किया तो उसका नाम पता, और उसका भी नाम जिसके खिलाफ कोई और पैसा देगा।

धारा-102 Notice of Protest

* जिसने चेक बनाया था जिसको पैसा देना है उस व्यक्ति को इस बात की भी Notice देना था दिया जाता है कि हमने public Notary से Protest का certificate बनवा के रखा गया है।
* अगर PN/BOE के मामले में ऐसा कानून है कि protest का certificate बनवाना जरूरी है तो वहाँ पर Dishonour का Notice नहीं दे कर सीधा protest की Notice दिया जाएगा। यह Notary करने वाले के द्वारा दिया जाएगा।

chapter-10 Reasonable time (105-107)

धारा-105 Reasonable time

* किसी भी चीज का Reasonable time calculate करने के लिए 3 चीज होती है।
  1. Instrument का Nature कैसा है।
  2. दोनो पक्षो की बातचीत कैसी है।
  3. Holiday को छोड़ कर कब Notice देना पड़ेगा।

धारा-106 Reasonable time of giving Notice of Dishonour

* अगर दोनो पक्ष अलग-अलग जगह हैं तो अब क्योंकि Dishonour जहाँ हुआ है तब जिस दिन वह Instrument Dishonour हुआ है उसके अगले दिन भेज देना है जिससे जल्द से जल्द पहुँच जाना चाहिए।
* अगर दोनो एक जगह रहते हैं तो Dishonour होने के अगले दिन Notice पहुँचे उसे इस प्रकार से भेजा जाएगा।

chapter-11 Acceptance & payment for

धारा-108 Acceptance for Honour

* कोई भी व्यक्ति किसी के जगह payment कर रहा है तो उसके पहले Holder (जिसको पैसा प्राप्त करना है) उसकी रजामंदी चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए या लिखना होगा की B के पास से Dishonour हो जाने के बाद यह Payment Holder के स्वीकार करने के बाद अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है।

धारा-109 How acceptance for honour must be made

* अन्य व्यक्ति द्वारा पैसा देने के लिए स्वीकार करने का तरीका यह होगा की जो स्वीकार करना चाहता है वह करेगा undertaking करना पड़ेगा। जिसमें उसको और उस व्यक्ति को यह बताना होगा की इस payment का Dishonour होने के वजह से यह payment स्वीकार किया जा रहा है।

धारा-110 Acceptance not Specifying for whose honour it is made

* अगर acceptor यह नहीं बताता की वह किसके पैसे के लिए Honour कर रहा है तब यह माना जाएगा की उसने Drawer जिसने बनाया उसके लिए कर रहा है।

धारा -113 Payment for Honour

* अगर PN/BOE Dishonour हो जाता है पैसा नहीं दे पाने के वजह से तो कोई भी व्यक्ति पैसा देने वाले की जगह पर पैसा दे सकता है।

धारा -114 Right of Payer for honour

* जो व्यक्ति ऐसा Payment कर देता है वह अधिकार रखता है कि वह उस व्यक्ति से पैसा Recover कर सकता है जिसके जगह पर उसने पैसा Pay किया।

Chapter-13 Rules of Evidence

धारा -118 Presumption as to NI

* कोर्ट हमेशा 7 प्रकार का अनुमान लेकर रहेगा।
1. Consideration होना चाहिए (सोच विचार)
2. वही वह Date है जिस दिन वह बनाया गया था।
3. कोर्ट यह मान कर चलेगा की कोई भी NI वह Resonable time पर होगा और Maturity के पहले इसे accept किया गया था।
4. Instrument का Transfer Before maturity किया गया है।
5. जिसने Indosersment (हस्ताक्षर) किया है वही चीज लिखी गई है कुछ जोड़ा नहीं गया है।
6. कोई भी PN/BOE/C कोर्ट यह मान कर चलेगी की वह duly stamped (विधिवत मोहर) है।
7. कोर्ट यह मान कर चलेगी की जो Holder सामने खड़ा है वह समय के अनुसार खड़ा है।

धारा -119 Presumption on proof of protest

* कोर्ट यह मान कर चलेगा कि जो Notary Certificate बनवाया गया है वह तो है ही उसमें Dishonour की वजह बताई गई है वह पुरी तरह से सत्य है। जब तक उसे गलत साबित न कर लिया जाए।

Estoppel against

धारा -120 Maker of BOE/PN/C

* अगर PN/BOE/C को बनाने वाला व्यक्ति है जिसे रोका जाएगा कि जो आप बना रहे हो वह original नहीं है इसलिए तो कोर्ट यह मान कर चलेगी की आपने Dishonour किया है (guilty mide) मान कर चलेगी।

धारा -121 Maker of BOE/PN/C

* वह व्यक्ति जिसको पैसा देना है वह पैसा प्राप्त करने वाले की क्षमता पर उंगली नहीं उठा सकता।

धारा -122 Indoerser of NI

* किसी भी Instrument का पहले का पता है तो हस्ताक्षर करने वाला (Indoerser) यह नहीं बोल सकता की मालिक के हस्ताक्षर गलत है या वह योग्य नहीं थे वह Instrument बनाने के लिए।

Chapter-14 Crossed Cheques

* चेक 2 तरह के होते हैं। (1) Cross cheques (2) open Cheques।

1. open cheques - कोई line नहीं खींची होती है कुछ नहीं होता है जिसे बैंक को सीधा दे दिया जाता है। यह पैसा Counter पर पैसा देता है वह भी cash में दिया जाता है। चेक खो गया तो कोई भी पैसा ले सकता है।
2. Crossed cheques - चेक के ऊपर // तो cross बना देने का अर्थ है कि पैसा account में दिया जाएगा cash में नहीं।

Types of Crossing

* यह 4 प्रकार के होते हैं।

(1) General Crossing :- किसी company या व्यक्ति का नाम लिखा है तो यदि तो साधारण cross या cross के ऊपर कुछ लिखा गया है तो किसका नाम लिखा है उसी के खाते धारा 123 126 में पैसा दिया जाएगा किसी अन्य के खाते में।

(2) Special Crossing :- अगर cross बनाने के बाद किसी बैंक का नाम लिखा गया है तो वह पैसा उस बैंक के उसी नाम के खाते में दिया जाएगा। धारा 124, 126, 127

(3) Account payee Crossing :- अगर cross के ऊपर यह लिखा है कि A/c payee तब वह उसी व्यक्ति के account में ही डालना है जिसे Transfer नहीं किया जा सकता।

(4) Not Negotiable Crossing :- अगर cross के ऊपर या नीचे NN लिखा गया फिर भी वह Transfer किया जा सकेगा और जितना amount Principal द्वारा Agent को बोला गया है उससे ज्यादा नहीं भर सकता है। और इससे जुड़ी बात नहीं किया जा सकेगा।

धारा -125 Who may cross

* चेक को cross जिसने बनाया वह भी cross कर सकता है। General या Special भी।
* => Holder भी कर सकता है अगर चेक uncross है या Drawer ने General Cross कर के दिया तब वह special cross बना सकता है। spec. था तो word add कर सकता है।
* => Banker भी cross कर सकता है अगर spec cross है तो Banker दुबारा cross कर सकता है ताकि बैंक किसी और बैंक को भेजा जा सके। या अपने agent को collection के लिए दुबारा cross कर सकती है।

Payment of

* Payment कैसे किया जाएगा।

धारा -126 Cheque crossed Generally

* जिस company या व्यक्ति का नाम लिखा होगा उसी को पैसा Pay किया जाएगा।

धारा -127 cheque crossed specially

* अगर किसी व्यक्ति द्वारा cross किया गया है और Banker को सही नहीं लग रहा है तो वह मना कर सकता है इस धारा के अन्तर्गत।

धारा -128 Crossed cheque in due course

* Payee Bank / Drawer दोनों बराबर अधिकार व जिम्मेदार होते हैं। Same Rights और position पर।

धारा -129 Crossed cheque out of due course

* जो हमारे True Owner को loss हुआ है तो उसके लिए Payee Bank liable होगी। अगर बैंक का पैसा देने में कोई गलती होती है तो

धारा – 138 General Rule
Dishonour of Cheque

* जब किसी व्यक्ति को चेक दिया जाता है तो वह 2 तरह से Dishonour हो सकता है।
(1) काटे गए चेक के सापेक्ष पर्याप्त धन न होने पर।
(2) अगर इस व्यक्ति ने बैंक से यह Aggrement किया है की 2 लाख से ज्यादा रूपए account से किसी को नहीं देना है तब वह चेक वापस हो जाएगा।
→ चेक Dishonour होने पर यह अपराध माना जाता है। केस करने से पहले इन 3 बातों का ध्यान देना जरूरी होता है जिसमें किसी भी Dishonour के मामले मे
(1) जब भी ऐसा चेक बनाया गया उसके बाद एक निर्धारित समय के भीतर बैंक मे चेक दिया होना चाहिए। तब मान्य होगा।
→ वह समय 1881 के अधिनियम मे 6 माह के समय के भीतर चेक बैंक मे जमा किया जाना चाहिए।
→ 2012 RBI का नियम आया की किसी भी चेक की समय 3 माह के भीतर की होगी।
(2) चेक बैंक मे लगाते ही अगर वह Dishonour हो गया तो चेक बनाने वाले को Notice देना पड़ेगा जिसमें 30 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें Notice लिखित होगा।
→ Notice भेजने के बाद भी चेक बनाने वाला 15 दिनों मे पैसा नही दे पाता Notice प्राप्त होने के बाद तब उनके खिलाफ 138 में केस लगाया जा सकता है। और केस file 30 days के भीतर ही करना होगा।।
Punishment – दोषसिद्ध होने पर 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो, मगर जुर्माना दुगना जितना पैसा देना था।

Complaint होता है FIR नही होता है

धारा – 142 Cognizance of offence

* अगर ऐसा अपराध हो गया तो हमेशा Trial करने की शक्ति JM 1st class या Metropolitan Megistrate के पास या इससे ऊपर के जज को रहेगी।
* 1 माह के भीतर ही Trial करने का प्रावधान है।
* यह तब किया जाएगा जब किसी व्यक्ति द्वारा लिखित मे complaint file किया जाएगा।

धारा – 139 Presumption of offence

* कोर्ट एक उपधारणा बनाएगा की जो चेक दिया गया था वह पैसे की भरपाई और हिसाब खत्म या चुकता करने के लिए ही दिया गया था।

धारा – 140 Defences not allowed

* पैसा देने वाला व्यक्ति इस बात का बहाना बचने के लिए नही दे सकता की मुझे नही पता था की चेक Dishonour हो जाएगा या मेरे बैंक खाते मे कितना पैसा है मुझे यह नही पता है।

धारा – 141 offences by Company

* अगर किसी company ने चेक दिया और उनका चेक Dishonour हो गया तब जिम्मेदारी हमेशा Company की और जिस समय Company का चेक Dishonour हुआ उस समय person Incharge जो था वह जिम्मेदार माना जाएगा।
→ अगर ऐसे मे दोषी होता है तो सजा Director/manager/secretary को दिया जाएगा।
→ अगर Govt. Director है तो उसकी जिम्मेदारी नही होगी क्योंकि उसे किसी चीज की देखरेख करने के लिए रखा गया है।

धारा – 143 Summary Trial

* (1) इसका Trial JMFC या MM करेंगे। इसका तरीका Summary trial होगा जो CrPC – 262 से 265 से ही होगा। जिसकी सजा Max – 1 yrs or fine – 5,000/-

धारा - 144 Service of Summon

* इस धारा में witness & accused दोनों को summon भेजा जाएगा लेकिन यह ऐसा तरीका से किया जा सकता जिसे Session कोर्ट ने Approved किया हुआ है।
* Summon वहाँ भेजा जाएगा जहाँ witness & accused रहते हैं या Business चलाते हैं या जहाँ काम करते हैं।

⇒ अगर summon लेने से मना कर दिया तो जो लेकर गया है। वह व्यक्ति अपना इन्कार बना कर यह लिखेगा की summon नहीं लिया गया और समन served माना जाएगा।

धारा - 145 Evidence an Affidavit

* अगर NI Act में किसी भी प्रकार के सबूत देना है तो आप Affidavit के माध्यम से दे सकते हैं। जहाँ पर Prosecution या accused person कोर्ट से यह बोल सकता है कि इस व्यक्ति को summon भेजवाइए जो Affidavit पर Evidence दिया है।

धारा - 146 Bank Slip

* धारा - 138 में चेक Dishonour होने पर Bank एक slip को देगा वह slip को हम Evidence के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

धारा - 147 Nature of offence

* इस अधिनियम में होने वाले अपराध 320 CrPC में शमन योग्य होगा जो समनीय अपराध है।

Case :- Dashrath Roop Singh Rathod

VS

State of Maharashtra

* JMFC या MM की Jurisdiction में Drawee Bank जिसकी पैसा देना है वहां के न्यायालय में केस file किया जा सकता है।

धारा - 142(2) Jurisdiction - 2015 Amend में

* केस वहाँ file होगा जहाँ जिसु व्यक्ति के A/C में चेक जमा और वह Dishonour आया जहां वह Bank होगा वहीं पर Jurisdiction बनेगा।
* चेक cash के लिए दिया गया तब जहाँ पर cash निकालते समय चेक Dishonour होगा वहीं Jurisdiction।

धारा - 142A Validation for transfer of Pending Case

① * केस में जो कोर्ट बताया गया है वहाँ अगर आपका केस वहाँ Pending है। वह सही कोर्ट में है तो अगर 2015 Amendment में 142(2) में जिस कोर्ट में भेजा गया है तो उसको valid Transfer माना जाएगा। और इसी प्रकार से देखा जाएगा की यह हमेशा से था।

② * कोई केस pending है 2015 से पहले किसी कोर्ट में या धारा - 142(2) में नए कोर्ट में Transfer किया जो pending है तब अगर इसी व्यक्ति का फिर से कोई चेक Dishonour हुआ तो उसी नई कोर्ट में इसी व्यक्ति के अन्दर केस file किया जाएगा।

③ * अगर वही व्यक्ति इसी व्यक्ति को 3 चेक दिया और सभी चेक Dishonour हो गया और 3 अलग - अलग जगह केस लगा है। तब 2015 के संशोधन के बाद जहाँ सबसे पहला केस किया गया था वहीं पर केस Transfer कर लिया जाएगा।

2018 Amendment

धारा - 143(A) Interim Compensation During trial

* अगर केस Summon या Summary वाली है तब जब Accused do not plead guilty है। तब Interim Compensation पाने का हकदार है। और अगर warrant trial चल रहा है जिसमें CJM कर रहा है। तब Charged frame होने पर Interime Compensation मिलेगा।
* यह Maximum 20% मिलेगा चेक राशी का। Interim Compensation
* यह 60 दिनों के भीतर देना होगा। order की तारीख से। यदि पैसा जमा नहीं कर पाया
* अगर accused sufficient cause बता दे तो 30 दिन और मिलेगा।
* अगर पैसा दिला दिया गया तब केस खत्म होने पर अगर दोषी नही पाया जाता है तो पैसा वापस करना पड़ेगा Interest के साथ जो यह RBI Decide करता है। और यह Bank Interest है उतना ही। यह 30 दिन का समय और मिल सकता है। 60 दिन में देना होगा और कुछ चीजों में 30 दिन का समय और मिल सकता है।
* अगर Compensation Accused नही pay करता है तो जो CrPC धारा 421 में तरीका बताया गया है वैसे वसूला जाएगा।

धारा - 148 - Interim Deposit During Appeal

* यह तब मिलता है जब appeal की जाती है।
* 20% Interim Deposit करवाया जा सकता है।
* 60 दिन में देना होगा Interim Deposit का order के बाद। 30 days और मिलेगा सही परेशानी बताने पर।
* Interest लगेगा जो Bank बताए और उतने के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा अगर accused दोषी नही पाया जाता है।

Case * Dalmia Cement Bharat Limited versus Galaxy trade and agency Limited 2001
↳ Interime Compensation मिलेगा इस समय Interime Deposite होगा ही होगा।

* Jayalaxmi Nataraj vs Jeena and 1996
↳ Company Director दोषी है तो वह चाहे कोई भी बहाना बनाए वह Defence के लिए नही होगा।

* MSR Leathers vs Palaniapan & anr 2013
↳ पहली बार Dishonour हुआ केस नही किया दूसरी बार Dishonour हुआ तो दोनो के लिए Complaint file किया वह मान्य नही होगा। दूसरा वाला ही मान्य होगा।